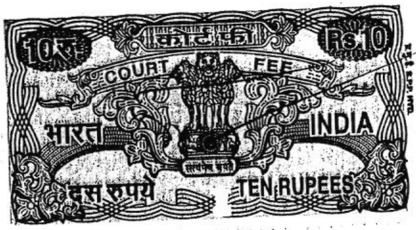

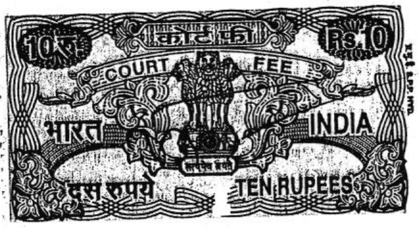


## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0क्र0 : निगरानी............../14 राजगढ़

R-3636-I/14

(105)

**श्रीमति कृष्णाबाई** पत्नि श्री घनश्याम बलाई
निवासी–ग्राम भूमका, टप्पासंडावता,
तह0–सारंगपुर, जिला–राजगढ़ (म0प्र0)–**निगरानीकर्ता**

**विरूद्ध**

**रामकुंवरबाई** पत्नि श्री अनोखे सिंह धाकड़
निवासी–ग्राम भूमका, टप्पासंडावता,
तह0–सारंगपुर, जिला–राजगढ़ (म0प्र0)---- **प्रत्यर्थी**

## निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

**महोदय,**

विद्वान नायब तहसीलदार महोदय, टप्पासंडावता, तहसील सारंगपुर द्वारा प्र0क्रं0–7/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनॉंक 03.12.2013 जिसके द्वारा उन्होंने विधि विरुद्ध सीमांकन कार्यवाही की खानापूर्ति करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया है, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर जानकारी दिनांक से मय धारा–5 समयावधि विधान के यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

## प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका/प्रार्थी ने तहसील न्यायालय में अपनी कृषि भूमि खसरा क्रं0–88/3 रकबा 0.038 हे0 स्थित ग्राम भूमका के सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से नायब तहसीलदार महोदय टप्पा संडावता द्वारा प्र0क0–7/अ–12/13–14 दर्ज किया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा माननीय नायब तहसीलदार महोदय एवं पुलिस की उपस्थिति में निगरानीकर्ता एवं मेड़ पड़ोसियों को सूचना पत्र जारी किये बगैर तथाकथित सीमांकन कराया, जिसके

**निरंतर...2...**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3636—एक / 14 जिला राजगढ़

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9—2—2016 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार टप्पासंडावता तहसील सारंगपुर के प्रकरण कमांक 7 / अ—12 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 03—12—2013 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 30—9—14 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रकरण के साथ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के पश्चात अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर आवेदिका को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के पालन में तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 4 / अ—70 / 13—14 में दिनांक 29—4—14 को आवेदिका स्वयं उपस्थित हुई तथा उनके अभिभाषक ने उक्त प्रकरण में जबाव भी पेश किया था। अतः आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 में दिये तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदिका को सीमांकन की जानकारी दिनांक 23—6—14 | |

//5 कृष्णाबाई /रा.

को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रकरण लंबित होने पर प्राप्त हुई। चूंकि आवेदिका तहसील न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही उपस्थित हुई है। यदि आवेदिका को सीमांकन आदेश दिनांक 03–12–13 की जानकारी दिनांक 23–6–14 को होना मान लिया जाये तब भी 68 दिन विलम्ब होता है और विलम्ब का समाधानकारक कारण आवेदक अभिभाषक दर्शाने में असफल रहे हैं। अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य